



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र 1947 (श10)

(सं0 पटना 1416) पटना, सोमवार, 25 अगस्त 2025

सं० 08/आरोप-01-10/2020 सा0प्र0-14470

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

5 अगस्त 2025

श्रीमती श्वेता मिश्रा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-445/2024, (596/2023) तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कैमूर के विरुद्ध राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित शेल्टर होम में अनियमितता से संबंधित सी०बी०आई० से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3630 दिनांक 23.09.2020 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्रीमती मिश्रा के विरुद्ध अल्पावास गृह, कैमूर का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण नहीं करने, अपने पदेन दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने तथा वस्तुस्थिति की गंभीरता का आकलन अक्षमता संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

शेल्टर होम में अनियमितता से संबंधित सी०बी०आई० से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु राज्य स्तर पर गठित वरीय पदाधिकारियों की त्रिसदस्यीय समिति की दिनांक 01.04.2022 को सम्पन्न बैठक में श्रीमती मिश्रा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुशंसा की गयी।

त्रिसदस्यीय समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-6667 दिनांक 04.05.2022 द्वारा श्रीमती मिश्रा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्रीमती मिश्रा से प्राप्त स्पष्टीकरण पर समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गई। समाज कल्याण विभाग से प्राप्त मंतव्य में उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। तदुपरांत सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9746 दिनांक 25.05.2023 द्वारा (i) निन्दन (आरोप वर्ष-2015-16) एवं (ii) 02 (दो) वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड श्रीमती मिश्रा को अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

उक्त अधिरोपित दंड पर पुनर्विचार करने हेतु श्रीमती मिश्रा द्वारा पुनर्विचार/पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (दिनांक-10.11.2023) समर्पित किया गया। जिसे विभागीय संकल्प ज्ञापांक-22938 दिनांक-19.12.2023 द्वारा कालबाधित होने के कारण अस्वीकृत किया गया।

उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्रीमती मिश्रा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-3299/2024 में दिनांक 29.10.2024 को पारित न्यायादेश में श्रीमती मिश्रा के विरुद्ध संकल्प ज्ञापांक-9746 दिनांक 25.05.2023 द्वारा संसूचित दंडादेश को निरस्त कर दिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 29.10.2024 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध एल०पी०ए० दायर करने के बिन्दु पर विधि विभाग, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त किया गया। प्राप्त परामर्श के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 29.10.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-559 दिनांक 10.01.2025 द्वारा श्रीमती मिश्रा के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9746 दिनांक 25.05.2023 द्वारा संसूचित दंडादेश को निरस्त करते हुए नये सिरे से आवश्यक साक्ष्य/साक्षी सहित आरोप पत्र गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के तहत नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्रीमती मिश्रा के विरुद्ध नये सिरे से आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3266 दिनांक 24.02.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-3299/2024, में दिनांक-29.10.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक-559 दिनांक 10.01.2025 द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध श्रीमती मिश्रा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में एम०जे०सी संख्या-643/2025 (श्वेता मिश्रा बनाम बिहार राज्य व अन्य) दायर किया गया।

उक्त अवमाननावाद में दिनांक-16.05.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

..... 6. In the present case also, the respondents admit in paragraph no.10 of the show cause that punishment order dated 25.05.2023 has been set aside by the Government vide Resolution No.559 dated 10.01.2025 and has also informed in paragraph no.15 that filing of LPA does not arise. In situation like this, the opposite parties instead of granting promotion and consequential benefits to the petitioner during the period she became entitled for, cannot restrain themselves from said act in contemplation of any future departmental proceeding without any evidence. Such action shows the intent of the opposite parties to commit contempt.

7. In view of the clarification made by the Apex Court, the duty now remains for the opposite parties to act judicially to grant the right, which has been affected to the petitioner. The law does not permit acting otherwise to reopen the action.

8. It can only be held to be not possible to repose any confidence in the action of the opposite parties for the same event.

9. The contempt petition is thus consigned.

उल्लेखनीय है कि सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-3299/2024 में दिनांक 29.10.2024 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में संकल्प ज्ञापांक-559 दिनांक 10.01.2025 द्वारा श्रीमती मिश्रा के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9746 दिनांक 25.05.2023 द्वारा संसूचित दंडादेश को निरस्त किया जा चुका है।

अतएव सी०डब्ल्यू०जे०सी०-3299/2024 में दिनांक 29.10.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु श्रीमती मिश्रा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एम०जे०सी० संख्या-643/2025 में दिनांक-16.05.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्रीमती श्वेता मिश्रा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-445/2024, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कैमूर सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मनहारी, कटिहार के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3266 दिनांक 24.02.2025 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को वापस लिया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

उमेश प्रसाद

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1416-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>